अनुस्मारक
पंजीकृत / ई–मेल

निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश।

पत्र सं0 57 / बा0वि0परि0 / पो0एवंस्वा0 / 2020–21 दिनांक 13 अगस्त, 2020

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी / प्रभारी
उत्तर प्रदेश।

विषयः–Umbrella ICDS योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के लाभार्थियों (06 माह से 03 वर्ष, 03 से 06 वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती महिलायें व धात्री मातायें) को आपूर्ति किये गये अनुपूरक पोषाहार वितरण की निरन्तरता के संबंध में।

उर्पयुक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या–सी–05 / बा0वि0परि0 / पो0 एव स्वा0 / 2020–21 दिनांक 04.4.2020 एवं निदेशालय पत्र संख्या–सी–292 / बा0वि0परि0 / पो0एवंस्वा0 / 2020–21 दिनांक 20.07..2020 ~~(प्रति संलग्न)~~ का संदर्भ लें जिसके द्वारा शासन के पत्र सं0–1142 / 58–1–20–2 / 13 (19) 05 टीसी–1 दिनांक 31.3.2020 के क्रम में Umbrella ICDS योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के लाभार्थियों (06 माह से 03 वर्ष, 03 से 06 वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती महिलायें व धात्री मातायें) हेतु आपूर्तित पोषाहार का नियमों के अनुरूप "Social Distancing" का पालन करते हुए वितरण के उपरान्त लाभार्थी का नाम, लाभार्थी / अभिभावक का आधार नम्बर तथा पोषाहार प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर प्राप्त कराने के निर्देश दिये गये थे।

शासन के पत्र सं0–1142 / 58–1–20–2 / 13 (19) 05 टीसी–1 दिनांक 31.3.2020 द्वारा वितरण के उपरान्त लाभार्थी का नाम, लाभार्थी / अभिभावक का आधार नम्बर तथा पोषाहार प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर प्राप्त कराते हुए उसकी सूचना निदेशालय में अभिरक्षित करने के भी निर्देश दिये है। किन्तु वांछित कार्यवाही की अद्यतन स्थिति अभी तक आप द्वारा निदेशालय में उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जो अत्यन्त ही आपत्तिजनक है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि माह अप्रैल व मई, 2020 में आपूर्ति निर्देश के सापेक्ष आंगनबाड़ी कार्यकत्री के द्वारा घर–घर अनुपूरक पोषाहार के वितरण से संबंधित लाभार्थी का नाम, लाभार्थी / अभिभावक का आधार नम्बर तथा पोषाहार प्राप्तकर्ता (लाभार्थी अथवा परिजन) का हस्ताक्षर प्राप्त कराने संबंधी अभिलेखों / रजिस्टरों की प्रतियां अपने कार्यालय में अभिरक्षित करते हुए उसको PDF में तैयार कर External Hard Drive में विशेष पत्र वाहक के माध्यम से निदेशालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार का विलम्ब न किया जाय।

~~संलग्नक–यथोक्त।~~

13/8/20

(धर्मेन्द्र सिंह)
संयुक्त निदेशक,
मुख्यालय।